

फाइल सं. V.28020/49/2023-H-II

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन नई दिल्ली-110011
दिनांक 22-12-2023

नोटिस

यह मंत्रालय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरएचटी सी अस्पताल, नज़फगढ़ में स्टाफ़, नर्सों के पदों के लिए भर्ती नियम बनाए जाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के प्रारूप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए भर्ती नियम बनाने के प्रस्ताव पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ विचार करने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती है। हितधारकों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नंबर 401-डी, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में भेजी जाएं और साफ्ट कॉपी anuradha.ramakrishnan@nic.in पर भेजी जाएं।

Signed by

Anuradha Ramakrishnan

Date: 22-12-2023 14:26:53

(अनुराधा रामकृष्णन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:-23061640